लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

11 मार्च, 2008

में विचारणीय विषयों की

कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2008 में विचारणीय विषयों की कार्य–सूची

कमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट पिटीशन संख्या: 8782(एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2008 के समादर में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत लखनऊ–बिजनौर रोड पर ग्राम–भदरुख की लगभग 101 एकड़ भूमि मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन के रुप में विकसित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध मे ।	13
3.	गेमती नगर योजना के विपिन खण्ड में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर की लगभग 75 एकड़ भू–उपयोग की भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी–1) मे से 22 एकड़ का भू– उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक/शोध संस्थाएं एवं सेवाएं एवं अवशेष लगभग 53 एकड़ भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं कीड़ा स्थल (पी–2) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।	20

विषय संख्या : 1 पृष्ठ संख्या : 01

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 01 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 01 मार्च, 2008 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2008 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री एन0एस0 रवि	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री चन्द्रभानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री आर0के0 सिंह (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव–आवास)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री आर0एन0 पाल (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6.	श्री अवनीश चतुर्वेदी	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7.	इ0 सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
9.	श्री एन0पी0 सिंह (प्रतिनिधि–निदेशक, पर्यटन)	उपनिदेशक पर्यटन, लखनऊ।
10.	श्री संजीव कश्यप (प्रतिनिधि–आवास आयुक्त)	आर्कीटेक्ट प्लानर / ओ.एस.डी. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
11.	श्री मुसव्विर अली "मन्सू"	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री गोविन्द पाण्डेय	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री सुरेश कुमार रावत	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री राम कृष्ण यादव	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।

अन्य उपस्थिति :

15.	श्री एस0एस0 मिश्र	सचिव, ल0वि0प्रा0 लखनऊ।
16.	श्री भूपेन्द्र सिंह	विशेष कार्याधिकारी, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
18.	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता (वि0 / यां0), ल0वि0प्रा0।
20.	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
21.	श्री एस0वी0 मिश्रा	संयुक्त निदेशक (भूमि एवं विकास), ल0वि0प्रा0।

07.3.08

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2008 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं निर्देश दिये गये कि :

1. अवैध कालोनियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में त्वरित गति से सर्वेक्षण/कार्यवाही की जाये।
2. 15000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में तेजी लायी जाये।

विषय संख्या : 3 लखनऊ नगर में आवासों की कमी के दृष्टिगत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बहुमंज़िलें सस्ते भवन निर्मित कराया जाना।

निर्णय : सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त योजना का सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया एवं निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

1. योजना स्वावित्त पोषित होगी और उतने ही भवनों का निर्माण उसी योजना में कराया जाये, जिस योजना में जितने पंजीकरण हों।
2. भवनों को सस्ता बनाने के उद्देश्य से तलों की संख्या एवं एफ0ए0आर0 की अनुमन्यता के अनुसार बढ़ाये जाने पर विचार कर लिया जाये।
3. लिफ्ट आदि की सुविधा के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया जाये।

07.3.08

4. भवनों की कास्टिंग पुनः चेक कर ली जाये तथा यदि आवश्यकता हो तो किसी बाहरी एजेन्सी से भी कार्य की गुणवत्ता चेक करा ली जाये।

विषय संख्या : 4

श्रीमती ऊषा बजाज पत्नी श्री रणवीर बजाज एवं श्रीमती सुनील बजाज पत्नी श्री प्रदीप बजाज के भूखण्ड संख्याः बी–940 सेक्टर–ए महानगर, लखनऊ का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2021 में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उस क्षेत्र में समस्त ऐसे प्रकरणों का विस्तृत परीक्षण करके आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 5

श्रीमती कल्याणी शर्मा पत्नी शहीद लेफ्टीनेन्ट कर्नल एम0सी0 शर्मा को पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड संख्याः सी0पी0–7 विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर योजना को रियायती दरों पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अथवा आन्तरिक सुरक्षा आदि के दौरान शहीद होने वाले वीरता चक्र प्राप्त सैन्य कर्मियों की विधवा पत्नियों के पुनर्वास हेतु शासनादेश संख्याः वीआईपी–15(1)/आठ–1–08–290 एलडीए/04 दिनांक 12.02.08 को अंगीकृत किया गया एवं निर्देश दिये गये कि :–

1. विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु भूखण्ड के अधिकतम क्षेत्रफल के सम्बन्ध में नीति बना ली जाये।
2. श्रीमती कल्याणी शर्मा पत्नी शहीद लेफ्टीनेंट कर्नल एम0सी0 शर्मा को भी उपरोक्त निर्णय का लाभ अनुमन्य किया जाये। चूंकि श्रीमती शर्मा को भूखण्ड पूर्व से ही आवंटित है, अतः क्षेत्रफल सम्बन्धी बिन्दु इस पर लागू नहीं होगा।
3. उपरोक्त योजना के फलस्वरूप प्राधिकरण को होने वाली वित्तीय क्षति अन्य भूखण्डों पर भारित की जाये।

07.3.08

विषय संख्या : 6 श्री राजीव कुमार मालवीय को शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड में आवंटित एवं निबन्धित भूखण्ड संख्या–1/549 (162 वर्गमीटर) को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड–5 में भवन संख्या 5/450 में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस मामले को अन्य प्रकरणों के लिए दृष्टांत न बनाया जाये।

विषय संख्या : 7 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में निर्मित सी0एस0आई0 लान का आवंटन जारी रखने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना।

निर्णय : प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या–732/2000 एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा याचिका संख्या 216/एमबी/2001 में पारित आदेश तथा पर्यावरण अनुभाग उ0प्र0शासन के ज्ञाप संख्या 2856/पर्या0–2003 दिनांक 15.10.03 के द्वारा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध के परिप्रेक्ष्य में सी0एस0आई0 लान को समारोहों हेतु आवंटित न किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 8 श्री नरेन्द्र नाथ धर दुबे (कीर्ति चक्र वीरता पद विजेता) शत्रुओं का मुकाबला करते समय गोलियों से घायल होकर 76 प्रतिशत स्थायी रूप से विकलांग को गोमती नगर विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 9 हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना में महायोजना के अन्तर्गत व्यवसायिक भू–उपयोग हेतु आरक्षित सेक्टर–1 की 9 हेक्टेअर भूमि का भू–उपयोग व्यवसायिक से आवासीय तथा सेक्टर–आई की 9 हेक्टेअर भूमि का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किया जाना।

निर्णय : प्रस्ताव प्राधिकरण की एक ही योजना से सम्बन्धित होने तथा दोनों स्थलों/भूखण्डों का अभी तक कोई आवंटन न होने के दृष्टिगत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 10 उत्तर प्रदेश की निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अधीन विभिन्न विकासकर्ताओं को लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के कार्योत्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पंजीकरण हेतु निर्धारित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति पंजीकरण की तिथि तक प्रस्तुत प्रस्ताव में अपरिहार्य रूप से की गयी हो, यदि विकासकर्ता कम्पनी/कंसोर्टियम द्वारा पंजीकरण की शर्त पूरी नहीं की गयी है, तो उस स्थिति में पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाये, इसी प्रकार यदि प्राविधानित सक्षम व्यवस्था के विपरीत जाकर कार्यवाही की गयी है, उस स्थिति में भी पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त लाइसेंस निर्गत करते समय यदि प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र द्वारा लाइसेंस की किसी निर्धारित शर्त का लाइसेंस निर्गत होने की तिथि तक अनुपालन नहीं किया गया है, उस लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया जाये तथा यदि किसी प्रस्ताव को निर्धारित प्रक्रिया से हटकर किसी ऐसे स्तर से स्वीकृत किया गया हो, जो शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ऐसे लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया जाये।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण सुनिश्चित करते हुए आख्या/संस्तुति सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करेगी।

विषय संख्या : 11 शासन की निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास नीति के अन्तर्गत मे0 एल्डिको सिटी प्रा0लि0 के पक्ष में निर्गत पंजीकरण/लाइसेंस के सापेक्ष विकासकर्ता कं0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव संख्या-10 के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर विचार नहीं किया गया।

07.3.08

विषय संख्या : 12 हरदोई रोड योजना बसंत कुंज ग्राम बरीकला की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान चकबंदी के पश्चात् भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 13 गोमती नगर के विभूति खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय के लिए आवंटित भूमि के अन्तर्गत स्थित 3 निर्माणों के स्थान पर वैकल्पिक भूखण्ड का आवंटन तथा निर्माणों का प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 14 सिंचाई विभाग के प्रस्ताव के अनुसार गांधी सेतु से लामार्टीनियर कालेज की ओर जाने वाले बंधे के किनारे सिंचाई विभाग द्वारा भूमि रि–क्लेम करके उसे विकसित एवं सौन्दर्यीकृत करने तथा नदी के समानान्तर एक और बन्धा निर्मित करने हेतु लगभग 14 हेक्टेअर भूमि के अधिगृहण का प्रस्ताव।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त इस शर्त के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया कि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व सभी सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये।

विषय संख्या : 15 बंगला बाजार चौराहे से कानपुर रोड जाने वाले वी0आई0पी0 रोड के सामान्तर कैनाल कालोनी के पीछे 24 मीटर चौड़ी सड़क के बीच में आ रहे निर्माण व प्रतिमा को अन्यत्र शिफ्ट करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया कि भविष्य में इसे दृष्टांत न बनाया जाये।

विषय संख्या : 16 लखनऊ नगर में अवस्थापना विकास, जन सुविधा, सौन्दर्यीकरण तथा अर्बन रिजुवनेशन की परियोजनाओं का क्रियांवयन पी0पी0पी0 माडल पर करने हेतु प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कन्सलटेन्ट पार्टनर का चयन एवं पी0डी0एस0 पी0वी0 गठित करने के सम्बन्ध में।

07.3.07

निर्णय : सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त लखनऊ नगर के अवस्थापना विकास, जन सुविधा, सौन्दर्यीकरण तथा अर्बन रिजुवनेशन की परियोजनाओं तथा शहर के कम्प्रेहेन्सिव डेवलेपमेंट हेतु परियोजनाओं के चिन्हीकरण, फिजीबिल्टी व अध्ययन उपरान्त डी0पी0आर0 तैयार करने व सक्षम स्तर से स्वीकृत परियोजनाओं के पी0पी0पी0 माडल पर क्रियांवयन हेतु विकासकर्ता के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी द्वारा चयनित कन्सलटेंट मे0 आई0एल0एफ0एस0–आई0एल0एफ0 एस0 आई0डी0सी के कांसोर्शिएम के साथ सेल कम्पनी गठित किये जाने तथा प्रस्तावित सेल कम्पनी के मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन एवं आर्टिकिलस् आफ एसोसिएशन और कन्सलटेंट के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0 के आलेखों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित सेल कम्पनी में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से निम्नलिखित 4 निदेशक, निदेशक मण्डल में नामित किये जायं :–

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन उ0प्र0शासन अथवा उनके प्रतिनिधि
4. संयुक्त निदेशक (भू0 / वि0) ल0वि0प्रा0, लखनऊ।

विषय संख्या : 17 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित शारदा नगर योजना के अन्तर्गत ग्राम–औरंगाबाद खालसा की 42 एकड़ भूमि का भू–उपयोग आवासीय से प्रदर्शनी / मेला एवं सम्मेलन स्थल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में 42 एकड़ भूमि आवासीय भूमि का भू–उपयोग जनहित में प्रदर्शनी / मेला एवं सम्मेलन स्थल में परिवर्तित किये जाने हेतु शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 25.02.08 को अनुमोदित करते हुए प्रस्ताव शासन के विचारार्थ संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 18 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत बंगला बाजार रोड पर स्थित स्वर्ण जयन्ती स्मृति उपवन की भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी एवं जलाशय (झील) से मनोरंजनात्मक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर–एल में स्थित स्वर्ण जयन्ती स्मृति उपवन जिसका नाम परिवर्तन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.09.07 में "मान्यवर कांशीराम स्मृति उपवन" किया जा चुका है और स्मृति उपवन को सुव्यवस्थित रूप से विकसित किये जाने की स्वीकृति एवं वित्तपोषण हेतु शासनादेश संख्या–4493/आ–1–07–122विविध/07 दिनांक 19.11.2007 के द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है, और जो महायोजना 2001 में क्षेत्रीय पार्क के रूप में वर्गीकृत था, का भू–उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा स्थल (पी–2) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना प्रकाशित होने के बावजूद किसी भी स्तर से कोई आपत्ति प्राप्त न होने के दृष्टिगत भू–उपयोग परिवर्तन की संस्तुति शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उपवन का "कारगिल निकुंज" व "कारगिल पुष्करिणी" का क्षेत्रफल यथावत् बनाये रखा जाये तथा इसे उसकी गरिमा के अनुरूप सुरुचिपूर्ण ढंग से विकसित किया जाये।

विषय संख्या : 19 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क की लगभग 75 एकड़ भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी–1) में से 40 एकड़ का भू–उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा स्थल (पी–2) एवं अवशेष लगभग 35 एकड़ भूमि का भू–उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक/शोध संस्थाएं एवं सेवाएं में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह नोट किया गया कि महायोजना–2001 जो मार्च 2005 तक प्रभावी थी, में अम्बेडकर उद्यान एवं संलग्न परिसरों के कुल 103 एकड़ क्षेत्रफल में से 50 एकड़ भूमि का भू–उपयोग सामुदायिक सुविधाएं एवं 53 एकड़ भूमि का भू–उपयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" वर्गीकृत था। बोर्ड द्वारा यह भी नोट किया गया कि

प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1995 से 2002–03 के मध्य डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं उद्यान, जन सुविधा परिसर एवं गेस्ट हाउस, स्टेडियम, सामाजिक परिवर्तन स्थल व म्यूजियम का निर्माण किया जा चुका था, किन्तु महायोजना–2021 जो कि अप्रैल 2005 से प्रभावी हुई, में धरातल की वास्तविकता के विपरीत त्रुटिवश मात्र 28 एंकड़ भूमि का भू–उपयोग सामुदायिक सुविधाएं तथा अवशेष 75 एकड भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल एवं हरित पट्टी (पी–1) में वर्गीकृत कर दिया गया, जिसके कारण अधिकांश भूखण्ड पर पूर्व में किया जा चुका विकास कार्य उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–16 के विपरीत नान–कन्फर्मिंग उपयोग की श्रेणी में आ गया है और इससे विधिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अतएव त्रुटि के निराकरण हेतु एवं पूर्व में किये जा चुके विकास के दृष्टिगत प्रश्नगत भूखण्ड में से 40 एकड़ भूमि का भू–उपयोग "पार्क एवं क्रीडा स्थल" (पी–2) व 35 एकड भूमि का भू–उपयोग "सामुदायिक सुविधाओं" में परिवर्तित किये जाने हेतु, इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में किसी भी स्तर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, संस्तुति सहित शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 20 जेल रोड व वी0आई0पी0 रोड चौराहे पर स्थित डा0 भीमराव अंम्बेडकर मैदान का भू–उपयोग प्रदर्शनी / मेला एवं सम्मेलन स्थल से मनोरंजनात्मक (स्मारक) में परिवर्तित किये जाने विषयक।

निर्णय :

सम्यक रूप से विचार–विमर्श किया गया और यह नोट किया गया कि पूर्व में राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–117 / एक–1 / 2003–05–145 / 2002(7) दिनांक 18.01.03, सपठित जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या 199 / डी0एल0आर0सी0 / 2002–03 दिनांक 31.03.03 के द्वारा ग्राम–भदरूख एवं हसनापुर, परगना व तहसील व जिला–लखनऊ की 22.825 हेक्टेअर ग्राम समाज भूमि पुनर्गृहीत कर शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को रैली स्थल के विकास हेतु उपलब्ध करायी गयी थी, जिस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2002–2003 में

07.3.08

रैली स्थल का विकास कार्य कराया गया था। बोर्ड द्वारा यह भी नोट किया गया कि उ0प्र0 शासन गृह विभाग से शासनादेश संख्या–2517/छः–पुलिस–2007 दिनांक 08.10.07 के द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कानून व्यवस्था एवं जन सुविधाओं के दृष्टिगत नगरों के भीतर रैली, धरना, प्रदर्शन, मेले आदि, जिनमें जन–सैलाब के कारण कानून व्यवस्था एवं जन–जीवन प्रभावित होता है, के आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाये। अतः जिला प्रशासन द्वारा प्रश्नगत रैली स्थल पर इस प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित कर दिये जाने के कारण एवं इस प्रकार के आयोजनों हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में रैली, प्रदर्शनी स्थल एवं मेले आदि के आयोजन हेतु "रमाबाई रैली स्थल" विकसित कर दिये जाने के फलस्वरूप तथा जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश संख्या 1404/डी0एल0आर0सी0/07 दिनांक 27.12.07 द्वारा प्रश्नगत भूमि के पुनर्गृहण का उद्देश्य रैली स्थल से बदल कर "मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल" किये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत भूखण्ड जो महायोजना–2021 में अन्य उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शनी मेला एवं सम्मेलन स्थल वर्गीकृत है, से बदल कर मनोरंजनात्मक (स्मारक) (पी–2) किये जाने हेतु संस्तुति उत्तर प्रदेश शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। बोर्ड द्वारा यह भी नोट किया गया कि जहां पूर्व में उपरोक्त भूमि विभिन्न आयोजनों के कारण बंजर भूमि की शक्ल में रहती थी, वहीं अब प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप हरे–भरे एवं सुरूचिपूर्ण ढंग से विकसित खुले मैदान के रूप में परिवर्तित हो जायेगी और अधिकतम 5 प्रतिशत भू–भाग पर ही कोई निर्माण कार्य किया जा सकेगा तथा प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र के पर्यावरण पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

अनुपूरक विषय : 1 मुवीन अहमद, चालक लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुत्र मतीन अहमद की गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु चिकित्सा अग्रिम रू0 4.50 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

07.3.08

निर्णय : विशेष परिस्थितियों में प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्णय लिया गया कि शासन को अनुमोदन हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाये तथा भविष्य के लिए प्राधिकरण द्वारा नीति बना ली जाये।

(एस0एस0 मिश्र)
सचिव

07.3.08
(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः मा. उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट पिटीशन संख्याः 8782 (एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उ.प्र सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 05.03.2008 के समादर में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत लखनऊ–बिजनौर रोड पर ग्राम भदरूख की लगभग 101 एकड़ भूमि मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन के रूप में विकसित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 29 सितम्बर, 2007 में विषय संख्या–5 पर कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत लखनऊ–बिजनौर रोड पर स्मृति उपवन का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन रखने तथा उसका बृहद विकास करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न की जा रही है (संलग्न–1)। प्राधिकरण द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के क्रम में मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन को विकसित करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ.प्र. शासन द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में परियोजना की डिजाइन एवं ड्राइंग तैयार करने हेतु बाहरी वास्तुविद मेसर्स– आर्कीटेक्ट ए डिजाइन को आबद्ध किया गया है। वास्तुविद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक कंसेप्ट के आधार पर परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न कार्यो के लिए रु0 114.27 करोड़ का आगणन गठित करके दिनॉक 31.10.2007 को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु शासन को प्रेषित किया गया था। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 4493/आठ–1–07–122 विविध/07 दिनॉक 19.11.2007 के द्वारा परियोजना की सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया था एवं साथ ही साथ परियोजना के लिए बजट के माध्यम से वित्तीय संशाधन उपलब्ध कराने की सहमति व्यक्त की गई।

3. उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में प्राधिकरण द्वारा अपनी निधियों से वर्तमान समय में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अन्य कार्यो हेतु वार्स्तुविद द्वारा विस्तृत डिजाइन व ड्राइंग अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

4. स्मृति उपवन के नामकरण के विषय को लेकर मा. उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष एक रिट याचिका संख्याः 8782(एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उ.प्र सरकार व अन्य दिनॉक 20.11.2007 को दायर की गई थी, जो कि विचाराधीन है। इस रिट याचिका में दिनॉक 05.03.2008 को

संयुक्त निदेशक (पू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

मा. उच्च न्यायालय द्वारा स्मृति उपवन का नामकरण मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन रखने के सम्बन्ध में कतिपय 'आब्जर्वेशन' के साथ आदेश दिया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्मृति उपवन के नाम परिवर्तन के विषय पर पुनर्विचार कर लिया जाये। मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 05 मार्च, 2008 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–2)**।

5. मा. उच्च न्यायालय के संलग्न आदेश के अनुपालन में लखनऊ–बिजनौर रोड पर बंगला बाजार के आगे लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के सेक्टर–एल में स्थित 101 एकड़ क्षेत्र में स्मृति उपवन का नामकरण मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन के रूप में नामान्तरण करने के प्रकरण पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष निम्न टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है:–

1. उ.प्र. शासन द्वारा दिनॉक 08.03.1985 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–3 के अन्तर्गत विभिन्न 6 गॉवो (कासिमपुर पकरी, हसनापुर, सालेह नगर, किला मोहम्मदी नगर, भदरूख, औरंगाबाद खालसा) की 1632.62 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4/17 की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके उपरान्त दिनॉक 11.02.1985 को धारा 6/17 की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। योजना से आच्छादित भूमि का कब्जा वर्ष 1985 से 1986 के मध्य विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया था तथा दिनॉक 07.03.1987 को अभिनिर्णय घोषित किया गया था। योजना से आच्छादित भूमि में कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के सेक्टर–एल में प्रश्नगत स्मृति उपवन की भूमि भी सम्मिलित थी, जो राज्य सरकार/प्राधिकरण में निहित हो गई।
2. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास के उद्देश्य से कानपुर रोड नगर प्रसार योजना का ले–आउट प्लान/सेक्टोरल प्लान तैयार किया गया, जिसके अन्तर्गत सेक्टर– ए से पी तक विभिन्न सेक्टर/खण्डों का नियोजन किया गया एवं इन खण्डों में कालान्तर में विस्तृत ले–आउट प्लान तैयार किया गया।
3. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों/सेक्टरों का वर्ष 1987–88 में विकास कार्य प्रारम्भ किया गया था।
4. कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत नियोजन के उपरान्त जो ले–आउट प्लान तैयार किया गया था उसके अन्तर्गत लखनऊ–बिजनौर रोड के दॉयी ओर बंगला बाजार के आगे सेक्टर–एल के अन्तर्गत लगभग 100 एकड़ क्षेत्र को प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये ले–आउट प्लान में क्षेत्रीय पार्क के रूप में चिन्हित किया गया था।

5. वर्ष 1998 में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर इस पार्क को स्वर्ण जयन्ती स्मृति उपवन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था एवं स्वर्ण जयन्ती पार्क के रूप में दिनॉक 15.08.1998 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। वर्ष 1998 में जो परियोजना तैयार की गई थी, उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने प्रियजन अथवा किसी विशेष अवसर की स्मृति में इस उपवन में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर वृक्ष लगाना चाहे तो वह रु0 100 प्रति वृक्ष की दर से प्राधिकरण में धनराशि जमा करके एक पुस्तिका क्रय कर प्राधिकरण से पौधे प्राप्त करके निर्धारित स्थान पर वृक्षारोपण कर सकता था। इस हेतु प्राधिकरण द्वारा एक पुस्तिका भी तैयार की गई थी। पुस्तिका की छायाप्रति साथ में संलग्न की जा रही है **(संलग्नक–3)**।

6. उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया था। वर्तमान समय में भी 20 एकड़ क्षेत्र में वृक्ष उपलब्ध हैं, जिनका अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

7. दिनॉक 10.07.1999 को कारगिल शहीदों की स्मृति में इसी उपवन के अन्तर्गत लगभग एक एकड़ क्षेत्रफल में कारगिल निकुंज विकसित करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा वृक्षारोपण का शुभारम्भ किया गया था तथा ब्लैक ग्रेनाईट के एक पेडस्टल पर 75 कारगिल शहीदों का नाम अंकित कराया गया था। इसी के साथ–साथ उपवन में एक कारगिल पुष्करिणी भी विकसित करने का निर्णय लिया गया था।

8. उपवन में कुछ क्षेत्र सामान्य भूतल से नीचा है, जिसके कारण बरसात के दिनों में इसके कुछ क्षेत्र में पानी भर जाने के कारण यह क्षेत्र झील का स्वरूप ले लेता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए दिनॉक 15.08.2006 को मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा इस उपवन के एक हिस्से में नगरीय वन की स्थापना, भू–जल संवर्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना हेतु शिलान्यास किया गया था।

9. वर्तमान समय में उपवन के अन्तर्गत लगभग 21 एकड़ क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा कारगिल–निकुंज व कारगिल–पुष्करिणी है।

10. मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा अपने जीवनकाल में समाज के दलित एवं शोषित वर्गो को संगठित किया गया, उन्हें संविधान में प्रदत्त समानता का अधिकार प्राप्त करने के तौर–तरीके से अवगत कराया गया तथा कानूनी अधिकारों के प्रति इन वर्गो के लोगों को जागृत किया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा इस उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न माध्यम से अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष किया गया तथा उपरोक्त उद्‌देश्य की पर्ति हेतु समर्पण की भावना से त्याग किया गया। मा. श्री कांशीराम जी के त्याग, संघर्ष एवं समर्पण को प्रतिविम्बित करने के उद्‌देश्य से एवं

उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि के स्वरूप ''मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन'' का विकास करने एवं इस पूरे क्षेत्र का वृहद विकास एवं सौन्दर्यीकरण कर इस उपवन का नाम ''मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन'' रखने का निर्णय प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनॉक 29 सितम्बर, 2007 में लिया गया था। निर्णय के क्रम में वास्तुविद द्वारा उपलब्ध करायी गई डिजाइन के आधार पर परिसर के चारों ओर सालिड चुनार स्टोन की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अन्य कार्यो की डिजाइन व ड्राइंग अभी उपलब्ध न हो पाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।

11. स्मृति उपवन में मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन की जो परियोजना तैयार की गई है, उसके अन्तर्गत लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में स्थित वृक्षों को यथास्थिति में रखते हुए उनका रख–रखाव प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। साथ ही साथ उपवन के एक हिस्से में कारगिल शहीदों की स्मृति में ''कारगिल स्तम्भ'' एवं ''कारगिल स्मारक'' सुरूचिपूर्ण एवं भव्य रूप से विकसित किया जायेगा। साथ ही साथ पूरे परिसर में लैण्ड स्केपिंग विकसित किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपवन परिसर में स्थित जलाशय को यथास्थित बनाये रखा जायेगा एवं भू–जल संवर्धन एवं झील संरक्षण की जो परियोजना दिनॉक 15.08.2006 को प्रारम्भ की गई थी, उसे यथास्थिति में आगे जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

12. प्रश्नगत उपवन का नाम बदलकर ''मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन'' रखने के निर्णय को श्री अशोक यादव देव द्वारा मा. उच्च न्यायालय के समक्ष ''चैलेन्ज'' किया गया है एवं इस हेतु मा. उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। रिट याचिका में दिनॉक 05.03.2008 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह ''आब्जर्व'' किया गया कि प्रश्नगत उपवन का नाम कारगिल शहीदों की स्मृति में किया गया था अतः इसका नाम परिवर्तित किये जाने का कोई अवसर नहीं है। मा. उच्च न्यायालय द्वारा नाम परिवर्तन के निर्णय पर पुर्नविचार करने का सुझाव अपने आदेश में दिया गया है।

प्रस्ताव

उपरोक्त के दृष्टिगत मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्याः 8782(एम.बी.)/2007 श्री अशोक यादव देव बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित किये गये निर्णय के आलोक में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना में ''स्मृति उपवन'' का नाम परिवर्तित करके ''मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन'' रखने के निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या-5 पृष्ठ संख्या 21

विषय : कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत लखनऊ-बिजनौर रोड पर स्थित स्मृति उपवन का नामकरण 'मा0 कांशीरामजी स्मृति उपवन' करने तथा इसका वृहद विकास करने के सम्बन्ध में।

मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा अपने जीवनकाल में समाज के दलित एवं शोषित वर्गो को संगठित किया गया, उन्हें संविधान में प्रदत्त समानता का अधिकार प्राप्त करने के तौर-तरीके से अवगत कराया गया तथा कानूनी अधिकारों के प्रति इन वर्गो के लोगों को जागृत किया गया। मान्यवर कांशीराम जी द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न माध्यमों से अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष किया गया तथा उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्पण की भावना से त्याग किया गया। मा0 कांशीराम जी के त्याग, संघर्ष एवं समर्पण को प्रतिबिम्बित करने के उद्देश्य से एवं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि के स्वरूप किसी उपयुक्त स्थान पर "मान्यवर कांशीरामजी स्मृति उपवन" का विकास किया जाना एवं नामकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में लखनऊ-बिजनौर रोड पर लगभग 100 एकड़ के क्षेत्र में विगत में एक स्मृति उपवन का विकास किया गया था। इसके अन्तर्गत लगभग एक एकड़ क्षेत्र में कारगिल शहीदों की स्मृति में "कारगिल निकुज" एवं "कारगिल पुष्करिणी" के नाम से वाटिका विकसित की गयी है तथा लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में सघान वृक्षारोपण किया गया है। शेष भाग खुला हुआ है, जिसमें टहलने के लिए पाथवे बनाया गया है।

इस पूरे क्षेत्र का वृहद विकास एवं सौन्दर्यीकरण करने तथा इसका नामकरण "मान्यवर कांशीरामजी स्मृति उपवन" के रूप में किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत कानपुर रोड योजना में लखनऊ बिजनौर रोड पर स्थित स्मृति उपवन का नामकरण "मान्यवर कांशीरामजी स्मृति उपवन" करने तथा इसका वृहद विकास करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विभिन्न प्रजातियाँ जिनका रोपण उपरोक्त उपवन में प्रस्तावित है :-

(अ) वृक्ष से वृक्ष अन्तराल 8 मीटर,

1. बरगद
2. पीपल
3. पिलखन
4. गूलर
5. कदम्ब
6. नीम
7. आम
8. टर्मिनेलिया अर्जुन
9. बेल
10. ढाक
11. कटहल
12. रूद्राक्ष
13. सीता अशोक

(ब) वृक्ष से वृक्ष अन्तराल 5 मीटर

1. अमलतास
2. सागौन
3. लैगरस्ट्रामिया फलासरजनी
4. कचनार (बहुनिया)
5. कनक चम्पा
6. मौलश्री
7. अशोक (छायादार)
8. आँवला
9. शीशम
10. जामुन
11. सेमल
12. कुरेजिया
13. सेलिक्स

(स) वृक्ष से वृक्ष अन्तराल 2.5 मीटर,

1. हरी चम्पा
2. कैसिया लैवगेटा
3. फाइकस न्यूडा
4. फाइकस पॉडा वैरीगेटिड
5. फाइकस बैन्जमिना

की-प्लान

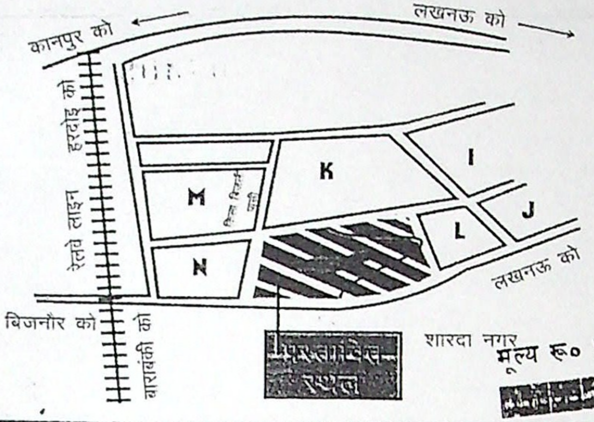

मूल्य रू० ५/-

DESIGNED & PRODUCED BY ARTGRAPHICS, LUCKNOW. PHONE : 209619

[redacted]

"क्या यह अवध का ही एक शहर है ? अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए, मैं अपनी आंखों को रगड़ कर देखता हूँ । नहीं... । यह रोम नहीं है, न ही यह एथेन्स है और न कान्सटेन्टीनोपल । नहीं... कोई भी शहर इसके जैसा सुन्दर और आकर्षित करने वाला हो ही नहीं सकता जितना ही मैं इसे देखता हूँ इसकी खूबसूरती मुझे और भी सम्मोहित करती जाती है।"

—विलियम एच. रसेल

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ विकास प्राधिकरण

[redacted] 6, ज[redacted] चन्द[redacted] मार्ग, [redacted] ऊ

स्वर्ण जयन्ती स्मृति वन परिकल्पना :

जैव संतुलन बनाये रखने तथा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो वह है वृक्ष । भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर लखनऊ की अनूठी संस्कृति एवं पर्यावरण को अक्षुण रखने के लिए इस उद्देश्य से इस उपवन की कल्पना की गयी कि लखनऊ के निवासी एक ओर तो महापुरुषों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आदि की स्मृति में वृक्ष लगाकर उनकी स्मृति को अनन्तकाल तक संजोये रखें तथा दूसरी ओर लखनऊ के प्राकृतिक वातावरण तथा पर्यावरण संतुलन में सहभागी बन सकें । वैसे भी लखनऊ की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप जिस अनुपात में निर्माण हुआ है उस अनुपात में हरितिमा का विकास नहीं हुआ है।

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत "बिजली पासी" किले के सामने लगभग 100 एकड़ भूमि पर स्वर्ण जयन्ती स्मृति उपवन विकसित करने की परिकल्पना की गयी है ताकि वहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के लगभग 50,000 वृक्षों का रोपण किया जा सके ।

उद्देश्य :

1. महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अपने पूर्वजों, इष्ट मित्रों अथवा अन्य अवसरों की स्मृति को वृक्षारोपण के माध्यम से संजोये रखना।
2. लखनऊ के निवासियों हेतु एक स्वच्छ एवं सुखद पर्यावरण उपलब्ध कराना।
3. वृक्षारोपण के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रित करना ।
4. वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संतुलन में सहभागी बनना ।
5. वृक्ष के रूप में, लगाने वाले प्रत्येक नागरिक/संस्था को एक चिरस्थायी साथी उपलब्ध कराना ।
6. आने वाली पीढ़ियों हेतु घनी आबादी के बीच एक खुला एवं मनोहारी स्थल उपलब्ध कराना ।
7. अंततः इस उपवन को एक प्राकृतिक दर्शनीय स्थल बनाना ।

वृक्षारोपण – अविस्मरणीय स्मृतियाँ के रुप में –

1. महापुरुषों अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में।
2. पूर्वजों, रिश्तेदारों/अपनों अथवा ईष्ट मित्रों की स्मृति में।
3. विवाह, वर्षगाठ, जन्मदिन एवं अन्य मांगलिक कार्यो की चिरस्थायी स्मृति में।
4. व्यवसाय के प्रारम्भ करने वाले दिन अथवा व्यवसाय/उद्यम की वर्षगाठ जैसे पुनीत अवसरों पर।
5. राष्ट्रीय/सामाजिक पर्वो के पुनीत अवसर पर।
6. स्वान्तः सुखाय।
7. अन्य अवसरों पर।

उपवन का स्वरुप :–

उपलब्ध भूमि की लैण्ड स्केपिंग करते हुए बिना कोई निर्माण कर इस भूमि को विभिन्न निकुन्जों के रूप में विकसित किया जायेगा । यथा आम्र निकुन्ज, मौलश्री निकुन्ज, नीम निकुन्ज, वट निकुन्ज इत्यादि ।

नियम एवं शर्तें :–

1. कोई भी व्यक्ति, संस्था उपर्युक्त वर्णित व्यक्तियों की स्मृति में अथवा अवसरों पर अपनी रूचि के अनुरूप वृक्ष का रोपण कर सकता है ।
2. स्मृति वन को विकसित करने का व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा तथा वृक्ष भी प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
3. अनुरक्षण हेतु वृक्ष रोपित करने वाले व्यक्ति को एक बार प्रारम्भ में प्रत्येक वृक्ष हेतु रू० 100/–(रू० एक सौ मात्र) का भुगतान करना होगा जिससे सदैव उस वृक्ष का अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
4. रोपित वृक्ष पर रोपणकर्ता के नाम की पटिटका लगाई जायेगी जिसमें वह व्यक्ति इस बात का उल्लेख कर सकता है कि वह वृक्ष किस उद्देश्य से लगाया है ।
5. रोपणकर्ता को अपने द्वारा रोपित वृक्ष को समय-समय पर देखने, उसकी पूजा अर्चना करने अथवा उसकी देखभाल करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
6. रोपित किया गया वृक्ष प्राधिकरण की सम्पत्ति होगी ।
7. भविष्य के सदर्भो के लिए विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा रोपित वृक्ष का स्थायी अभिलेख प्राधिकरण में रखा जायेगा ।
8. दैवी प्रकोप की दशा में वृक्ष की क्षति हेतु दावा आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा अपितु प्राधिकरण द्वारा एक वृक्ष उसी प्रजाति का पुनः निःशुल्क रोपित कराया जायेगा।
9. उपरोक्त नियमावली में परिवर्तन/परिवर्धन का अधिकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में सुरक्षित है ।
10. किसी भी वाद की दशा में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

वृक्षारोपण हेतु क्या करें :–

1. वृक्षारोपण हेतु विवरण पुस्तिका प्राधिकरण द्वारा 2/- नकद जमा करने पर उपलब्ध करायी जायेगी।
2. वृक्ष रोपणकर्ता द्वारा विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन–पत्र भरकर देना होगा तथा उसके साथ रू० 100/- (रू० एक सौ मात्र) प्रति वृक्ष की दर से, प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराना होगा । जिसकी रसीद उपलब्ध करायी जायेगी।
3. वृक्षारोपण के मौसम में रोपणकर्ता को उसकी रूचि के अनुरूप प्रजाति का पौधा उपलब्ध कराते हुए उसे निर्धारित स्थल पर रोपण का अवसर दिया जायेगा।

धन राशि प्राप्ति रसीद क्र०सं०......04404

आवेदक/संस्था...

पत्नी/पुत्र/पुत्री/ ....

से रु० 100/–प्रति वृक्ष की दर से ....

वृक्षों के रोपड़ हेतु कुल रु० ....

(शब्दों में...) सधन्यवाद

प्राप्त किये गये ।

दिनांक.......................... प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर
प्राधिकरण की मोहर

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
उद्यान विभाग
स्वर्ण जयन्ती स्मृति उपवन में वृक्षारोपण हेतु
आवेदन पत्र

क्रम संख्या-04404

1. आवेदक/संस्था का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. स्थायी पता ....
....
4. वर्तमान पता ....
....
5. पौधे का नाम/प्रजाति एव संख्या ....
....
6. जिनकी स्मृति में रोपण करना है उनका नाम ....
....
7. रू० 100/- प्रति वृक्ष की दर से जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण.............
....
8. अन्य विवरण यदि कोई हो...

दिनांक ------------ आवदेक के हस्ताक्षर

स्थान ------------

कार्यालय प्रयोगार्थ

आवेदक से उपरोक्त धनराशि रु०...

(शब्दों में रु०–––––––––––––––––––––––) नकद प्राप्त की ।

दिनांक ------------ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
प्राधिकरण की मोहर

विषयः **गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क की लगभग 75 एकड़ भूपयोग की भूमि का भू-उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/ हरित पट्टी(पी-1) में से 22 एकड़ का भू-उपयोग सामाजिक सांस्कृतिक/शोध संस्थाएं एवं सेवाएं एवं अवशेष लगभग 53 एकड़ भूमि का भू-उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा स्थल (पी-2) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।**

आख्याः

प्रश्नगत लगभग 75 एकड़ भूमि का भू-उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/ हरित पट्टी(पी-1) में से 40 एकड़ का भू-उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा स्थल(पी-2) एवं अवशेष लगभग 35 एकड़ भूमि का भू-उपयोग सामाजिक सांस्कृतिक/शोध संस्थाएं एवं सेवाएं में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.01.2008 में अनुमोदित किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 15.01.2008 को प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित पत्र के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 21.01.2008 के साथ संलग्न आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने सम्बन्धी सूचना को दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' व 'राष्ट्रीय सहारा' के क्रमश: दिनांक 22.01.2008 व 23.01.2008 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुई, जिसके दृष्टिगत भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01.03.2008 को विषय संख्या-19 द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण को स्वीकृत करते हुए शासन को प्रेषित करने की संस्तुति की गयी। दिनांक 07.03.2008 को प्राधिकरण के निर्णय से शासन को अवगत कराते हुए भू-उपयोग परिवर्तन हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

प्रकरण में समय-समय पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श के क्रम में स्थल पर किये गये विकास के पुनः परीक्षण से यह तथ्य सामने आये कि वर्तमान में सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत स्थल पर जो निर्माण प्रस्तावित है अथवा पूर्ण कराये जा चुके है उनका कुल आच्छादित क्षेत्रफल लगभग 15 एकड़ है। 15 एकड़ आच्छादित क्षेत्रफल प्राप्त करने हेतु भवन उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत लगभग 43 एकड़ भूमि की ही आवश्यकता है, जबकि लखनऊ महायोजना-2001 में लगभग 50 एकड़ भूमि का भू-उपयोग सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित था। लखनऊ महायोजना-2021 में 28 एकड़ भूमि पूर्व से ही सामुदायिक

C.T.P.

सुविधाओं हेतु प्रदर्शित है। अतः उक्त के दृष्टिगत महायोजना-2001 के प्राविधानों के सापेक्ष लखनऊ महायोजना-2021 में 75 एकड़ पार्क एवं खुले स्थल/ हरित पट्टी(पी-1) की भूमि में से मात्र 22 एकड़ भूमि का भू-उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक/शोध संस्थाओं एवं सेवाओं में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है न कि 35 एकड़ भूमि का भू-उपयोग। इसी प्रकार पार्क एवं खुले स्थल/ हरित पट्टी(पी-1) से पार्क एवं क्रीड़ा स्थल(पी-2) भू-उपयोग में 40 एकड़ के स्थान पर 53 एकड़ भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना विचारणीय है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत भू-उपयोग परिवर्तन का संशोधित प्रस्ताव पत्र संख्या-164/मु.न. नि./08, दिनांक 10.03.2008 द्वारा शासन को प्रेषित किया जा चुका है (प्रति संलग्न)।

कृपया उक्त कार्यवाही प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है।

Goyal
G. S. Goyal
CTP.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2008 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री राम बहादुर	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री चन्द्रभानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री आर०के० सिंह (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव–आवास)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6.	श्री आर०एन० पाल (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	इं० सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
8.	श्री एन०आर० वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
9.	श्री एन०पी० सिंह (प्रतिनिधि–निदेशक, पर्यटन)	उपनिदेशक पर्यटन, लखनऊ।
10.	श्री गुसव्विर अली "मन्सू"	मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०।
11.	श्री गोविन्द पाण्डेय	मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०।
12.	श्री सुरेश कुमार रावत	मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०।
13.	श्री राम कृष्ण यादव	मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०।

अन्य उपस्थिति :

14.	श्री एस०एस० मिश्र	सचिव, ल०वि०प्रा०, लखनऊ।
15.	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा०।
16.	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०।
17.	श्री जी०एस० गोयल	मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०।
18.	श्री एस०बी० मिश्रा	संयुक्त निदेशक (भूमि एवं विकास), ल०वि०प्रा०।

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। निदेशक कोषागार श्री ओम नारायण द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि लिए गये निर्णयों में "दृष्टांत न बनाया जाये", जैसे शब्दों का उल्लेख/प्रयोग न किया जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति दी गयी।

विषय संख्या : 2 मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट पिटीशन संख्या: 8782(एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.08 के समादर में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत लखनऊ–बिजनौर रोड पर ग्राम–भदरूख की लगभग 101 एकड़ भूमि मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन के रूप में विकसित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में स्मृति उपवन का नाम परिवर्तित करके "मान्यवर कांशीराम स्मृति उपवन" नाम रखने हेतु प्राधिकरण की दिनांक 29.09.07 की बैठक में विषय संख्या–5 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या: 8782(एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिनांक 05.03.08 को पारित आदेश के आलोक में उपवन का नाम परिवर्तन के निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया।

2. विचार–विमर्श के उपरान्त कानपुर रोड योजना में लखनऊ–बिजनौर रोड़ पर बंगला बाजार से आगे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित/विकासशील ''मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन'' का नाम परिवर्तित करके "बौद्ध विहार शान्ति उपवन" रखने एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–2 में उल्लिखित उद्देश्य एवं प्रारूप के

अनिवार्यतः अनुरूप इसे विकसित करने का निर्णय लिया गया।

3. उपवन को विकसित करने के लिए बजट के माध्यम से वित्तीय प्राविधान करने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है, अतः शासन को नाम परिवर्तन का प्रकरण संदर्भित करने का भी निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 3 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क की लगभग 75 एकड भू–उपयोग की भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी–1) में से 22 एकड का भू–उपयोग सामाजिक सांस्कृतिक/शोध संस्थाएं एवं सेवाएं एवं अवशेष लगभग 53 एकड़ भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा स्थल (पी–2) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

(एस0एस0 मिश्र)
सचिव

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।